दाखला

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद

Email- commnarmadapuram@mp.gov.in, Fax No- 07574 254262

क्रमांक 8367 / प्रवाचक–2 / अ0आयु0 / 17 होशंगाबाद, दिनांक 21 / 11 / 2017

प्रति,

PBR/विविध/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4801

मान्नीय अध्यक्ष महोदय,
मान्नीय राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

विषयः पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु ।

संदर्भः श्रीमति सपना शिवाले पत्नि श्री पंकज सौलंकी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद व्दारा अपनें पद का दुरूपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में ब्यूरो में प्राप्त शिकायत। .

---00----

उपरोक्त सन्दर्भान्तर्गत श्रीमति सपना शिवाले पत्नि श्री पंकज सौलंकी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद व्दारा अपनें पद का दुरूपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करनें के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त शिकायत की जॉच अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से कराई जाकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जॉच प्रतिवेदन अनुसार पाया गया है कि, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के प्र0क्रं0 1790 / अ–90(ब–3) / 1974–75 में पारित आदेश दिनांक 22.01.1976 के अनुसार ग्राम पनारी स्थित भूमि खसरा नं0 47 रकवा 1.546 हेक्टेयर, ख0नं0 55 रकवा 0.902 हे0, ख0नं0 57 रकवा 0.312 हे0, ख0नं0 183 रकवा 15.826 हे0, ख0नं0 219 राकवा 1.113 हे0 एवं ख0नं0 228 रकवा 4.293 हे0 कुल रकवा 23.992 हेक्टेयर (59.29 एकड) भूमि पर म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के तहत 34.29 एकड भूमि मूल धारक शरदचंद जोशी के पास अधिक होनें से उक्त भूमि शासन् के पक्ष में अधिग्रहित करनें का आदेश पारित किया गया तथा धारा–11(1) के तहत प्रारूप विवरणी जारी किया जाना आदेशित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष शरदचंद्र जोशी एवं अन्य 3 व्दारा अपील प्रस्तुत की गई तत्पश्चात् मण्डल [illegible] ग्वालियर के व्दारा अपील क्रं0 91–1 / 76 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक [illegible] को निर्णय पारित किया गया जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि, [illegible] आलोच्य बटवारा (धारक एवं उसकी बहनों के मध्य) केवल अधिनियम के प्रावधानों का [illegible] करनें के लिए किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय नें इन अंतरणों को शून्य घोषित करनें में कोई त्रुटि नहीं किया जाना पाते हुए उनके व्दारा पारित आदेशों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करनें की आवश्यकता नहीं होनें का उल्लेख वर्णित करते हुए अपील अमान्य की गई।

2– अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.01.1976 के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष भी अपील प्रस्तुत करनें पर अपील प्रकरण क्रं0 19 / अ–90 / वर्ष–1975–76 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 13.04.1983 को आदेश पारित किया गया जिसके तहत मूल धारक शरदचंद तथा उनकी बहनों के मध्य किए गए बटवारा को सीलिंग से बचनें के लिए रचा गया होना अवधारित करते हुए [illegible] होनें तथा सिंचित भूमि की गणना उचित मानते हुए अपील निराधार [illegible]

3– माननीय राजस्व मण्डल एवं कलेक्टर होशंगाबाद के व्दारा [illegible] पश्चात् न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया, जिला [illegible]

निरन्तर पृष्ठ---2

02/अ–90(ब–3)/वर्ष–82–83 (पुराना रा0प्र0कं0: 1780/अ–90(ब–3)/वर्ष–1974–75) में पारित आदेश दिनांक 05.10.1984 के अनुसार अंतिम रूप से धारक की 34.29 एकड भूमि अतिरिक्त घोषित करते हुए धारक से छोडी जानें वाली जमीनों की जानकारी ली जाकर अंतिम विवरणी जारी करनें के आदेश दिए गए।

4– मूल धारक शरदचंद जोशी की पुत्री नीलिमा जोशी पत्नि हेमन्त जी देसाई के व्दारा लगभग 24 वर्ष के अंतराल के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के उपरोक्त आदेश दिनांक 05.10.1984 के विरूद्ध निगरानी न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर निगरानी प्र0कं0 15 वर्ष–2008–09 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 10.03.2010 को अंतिम आदेश पारित किया जाकर निगरानी आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि, वे प्रकरण में प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर गुण दोषों के आधार पर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें, तत्पश्चात् मूल धारक शरदचंद जोशी व्दारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर आदेशिका दिनांक 19.05.2010 के तहत विषयांकित प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के स्थान पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद को आगामी सुनवाई हेतु अंतरित किया गया। उल्लेखनीय है कि, वाद विषय पर पूर्व में ही दिनांक 16.07.1979 को माननीय राजस्व मण्डल व्दारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित आदेश पारित किया जा चुका था।

5– अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद व्दारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग को प्रेषित कं0 388/प्रवाचक–1/2010/होशंगाबाद, दिनांक 01.06.2010 एवं संलग्न आदेशिका दिनांक 19.05.2010 के आधार पर प्रकरण कं0 212/बी–121/वर्ष–2010–11 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 27.04.2011 को अंतिम आदेश पारित किया गया जिसके तहत धारक के परिवार की भूमि धारण क्षमता निर्धारित सीमा से अधिक होना प्रमाणित नहीं होना उल्लेखित करते हुए मूल धारक शरदचंद आ0 मारूतिराव जोशी, निवासी–पनारी के विरूद्ध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रचलित प्रकरण समाप्त किया गया है। जबकि उपरोक्तानुसार उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी से वरिष्ठ न्यायालयों व्दारा इस वाद विषय पर अंतिम आदेश पूर्व में ही मूल भू–धारक श्री शरदचंद्र आ0 मारूतिराम के विरूद्ध लगभग 25–30 वर्ष पूर्व ही पारित हो चुके थे।

6– तत्कालीन आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के निगरानी प्र0कं0 15 वर्ष–2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2010 एवं आदेशिका दिनांक 19.05.2010 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद नें "वरिष्ठ न्यायालयों" व्दारा स्थापित सुस्थापित एवं तदनुसार पारित अंतिम आदेशों के लगभग 25–30 वर्षो उपरांत विपरीत निष्कर्ष निकाल करते हुए मूल धारक के विरूद्ध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही समाप्त की गई है, जो कि विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना प्रतीत नहीं होती है। निगरानीकर्त्ता एवं मूल धारक के व्दारा प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण तथ्य तत्कालीन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं करनें व बनावटी तथ्यों का आधार लेकर भ्रमित करनें के कारण तथा स्वच्छ हाथों से न्याय की वांछा के साथ न्यायालय में उपस्थित नहीं होनें के कारण निगरानीकर्त्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया से अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद को अंतरित किया गया है फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के व्दारा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जाकर म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम का प्रकरण समाप्त किया गया है जिससे शासन् को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के निगरानी प्र0कं0 15 वर्ष–2008–09

निरन्तर पृष्ठ--3

पारित आदेश दिनांक 10.03.2010 का पुर्नविलोकन/पुनरीक्षण किया जाना शासन् हित में नितांत आवश्यक हो गया है। इस न्यायालय को प्रकरण के पुर्नविलोकन हेतु मान0 राजस्व मण्डल से अनुमति अभिप्राप्त करना विधि की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि, इस न्यायालय के उक्त प्रकरण को पुर्नविलोकन में लेनें की अनुमति प्रदान करनें का कष्ट करे, यदि ऐसा संभव न हो तब शासन् हित में मान0 राजस्व मण्डल इस न्यायालय के उक्त प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी/पुनरीक्षण में ग्रहण कर विधि के प्रकाश में यथोचित आदेश प्रदान करनें का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार आदेश प्रतियॉ..07..
(पृष्ठ क्र0-01 से 61 तक)

(उमाकांत उमराव)
आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/विविध/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4801

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-2018	आवेदक शासन की ओर से श्री सिराज कुरैशी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से पूर्व में ही लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं । आवेदक शासन की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं अनावेदक की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों पर विचार किया गया । आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में प्रस्तावित कारण एवं प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10-3-2010, जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बी अवधि के पश्चात म.प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत धारक के विरूद्ध बिना पूर्ण तथ्यों को देखे कार्यवाही समाप्त की गई है । अतः आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार प्रश्नाधीन आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि पुनर्विलोकन प्रकरण में आदेश पारित करने के पूर्व सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । अध्यक्ष	